**उत्तर प्रदेश शासन**

**वित्त (सेवायें) अनुभाग-2**

**संख्या-55/2021/एस-2-।/100363/दस-2021-1171/2021**

**लखनऊ :: दिनॉक:: 23 सितम्बर, 2021**

**<u>कार्यालय-आदेश</u>**

**नियमित नियुक्ति होने अथवा अग्रिम आदेशों तक उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा समूह-क के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके अपने कार्य के साथ-साथ तालिका के कालम संख्या-3 में अंकित पद का अतिरिक्त प्रभार बिना किसी अतिरिक्त वेतन भत्ते के दिये जाने के श्री राज्यपाल सहर्ष आदेश प्रदान करते है:-**

| क्र0 सं0 | अधिकारी का नाम/पदनाम/ वर्तमान तैनाती | पद व स्थान जिसका अतिरिक्त कार्यभार प्रदान किया जा रहा है |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | श्री सुदर्शन,<br>वित्त नियंत्रक,<br>मेडिकल कालेज, आगरा | वित्त नियंत्रक,<br>आगरा विकास प्राधिकरण,<br>आगरा। |
| 2 | श्री प्रियरंजन कुमार,<br>वित्त नियंत्रक,<br>राज्य पेयजल एवं स्वछता मिशन, उ0प्र0<br>लखनऊ। | वित्त निदेशक,<br>उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण),<br>लखनऊ। |

**2- संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अतिरिक्त प्रभार के पद का कार्यभार तत्काल ग्रहण कर, कार्यभार प्रमाणक, शासन एवं निदेशक कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ को 02 दिन में उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।**

**प्रकाश बिन्दु**
**विशेष सचिव।**

**<u>संख्या-55/2021-एस-2-।/100363(1)/दस-2021,तददिनॉक</u>**

**प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-**

**1- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 शासन को इस आशय से प्रेषित कि वित्त निदेशक,उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ का पद पद सृजन आदेश उपलब्ध कराने का कष्ट करे, जिससे पद एवं ग्रेड पे के अनुरूप में नियमित तैनाती की जा सके।**

**2- अपर मुख्य सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन/चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।**

**3- निदेशक,उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।**

**4- प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, आगरा।**

**5- उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा।**

**6- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।**

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

**7- अपर निदेशक, कोषागार निदेशालय,शिविर कार्यालय, उ0प्र0 प्रयागराज।**

**8- मुख्य कोषाधिकारी, आगरा/लखनऊ।**

**9- संबंधित अधिकारीगण द्वारा निदेशक, कोषागार।**

**10- गार्ड फाईल।**

**आज्ञा से,**

**( सजीवन )**

**अनु सचिव।**

http://shasanadesh.up.nic.in

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।